

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण
जाचकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्नसौदय अन्य योजना - 20 कि०घा० गेहूँ तथा 15 कि०घा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना - 03 कि०घा० गेहूँ तथा 02 कि०घा० चावल कुल 05 कि०घा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति युगित।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ २०-०२ प्रति कि०घा० तथा चावल १०-०३ कि०घा० की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



खाद्य तथा रसद विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

जनपद : इलाहाबाद

राशन कार्ड क्रमांक : 217540099839

ग्राम : CHAKIYA GIRADH KOT विद्यालय बर कपुपुर

मुखिया का नाम : सीमती सुनीता

पिता / पति का नाम : श्री शिव कुमार

श्रेणी/वर्ग : विशिष्ट वर्ग

निवासी का पता : 26, CHAKIYA GIRADKOT, CHAKIYA GIRDH KOT, DHANOOPUR, इलाहाबाद - 221502.

आधार /इमरॉलमेंट नं० : XXXX XXXX 2310

रेशन कार्ड कोष्ठक नं० : — —

रेशन एजेंसी का नाम : — —

उचित घर प्रकार : झुलझुमारी

पुनिटों का विवरण : 5 (Five)

दिनांक : 19-08-2018

Digitally Signed By
NAVIN K TIWARI

Navin Kumar Tiwari / 0

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2०१३ के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP.

Print at : 17 Dec 2018 09:49 PM